25/10/23 ... पेश हुयी/R.P. साहब/कार ... वकील ... की गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 27/2/24 ... को पेश हो।

27/2/24 ... दिनांक 23-4-24 ... पेश हो।

23/4/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थीगण को जरिए डाक से सम्मन भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए हैं अतः सम्यक तामील मानी जाती है।

सम्यक तामील के उपरान्त भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं हुए हैं अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी खातेदार हैं, एवं विवादित भूमि का विभाजन विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्र.पत्र के चरण सं. 2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली जैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)